

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2024

जयपुर दिनांक 04 DEC 2024


::अधिसूचना::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26) के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है :-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, झुंझुनू	झुंझुनू	झुंझुनू

नोट:- उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,


04.12.24
(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/12/2024/1799

Date:/12/2024

- Copy forwarded to the following for information and necessary action:-
1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
 2. The concerned District & Sessions Judge.
 3. The concerned Chief Judicial Magistrate,
 4. The concerned court through District & Sessions Judge.
 5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.


10/12/2024
REGISTRAR (RULES)